अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय / अनुदानित / निजी क्षेत्र / पीपीपी मोड की संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 7579 **लखनऊः दिनांकः** 03-10-2024

विषयः वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु डाटा परिषद से अग्रसारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद कार्यालय के पत्र सं0 प्राशिप / परिषद / 2024 / 6036, दिनांक 11.09.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024–25 हेतु संस्थाओं को पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने संबंधी दिशा–निर्देश प्रदान किये गये थे।

उपरोक्त के क्रम में प्रदत्त निर्देशों का अनुसरण करते हुए निम्न अभिलेखों को परिषद कार्यालय के परिषद अनुभाग में दिनांक 10.10.2024 तक जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि परिषद स्तर से मास्टर डाटा अग्रसारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

1. प्रारूप–1 पर वर्षवार एवं ब्रांचवार विवरण।
2. परिषद द्वारा निर्गत विगत 03 वर्षों (2022–23, 2023–24 व 2024–25) के सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रति।
3. विगत 03 वर्षों (2022–23, 2023–24 व 2024–25) का AICTE अनुमोदन / अनुमोदन विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं सत्यापित प्रति।
4. छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर संस्था द्वारा मास्टर डाटा लॉक की डाउनलोडेड स्पष्ट एवं पठनीय प्रति जिसमें संस्था का नाम अंकित हो।
5. यू–राईज पोर्टल पर अपलोडेड छात्रवृत्ति विवरण का प्रिंटआउट।

उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र / छात्रा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति में वंचित रह जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य / निदेशक / प्रबधन का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 7580-82 **तद्दिनांकः** 03-10-2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

–: प्रारूप–1 :–

संस्था का कोड व नाम:

क्र0सं0	बी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित ब्रांच का नाम	अनुमोदित प्रवेश क्षमता (EWS सहित + Lateral Entry)		
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

संस्था के छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नोडल अधिकारी का
नाम:
पदनाम:
मोबाइल नं0:
ई–मेल आई.डी.:

संस्था प्रधानाचार्य/
निदेशक ह0 मुहर सहित
नाम:
पदनाम:
मोबाइल नं0:

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
राजकीय / अनुदानित / निजी क्षेत्र / पीपीपी मोड की संस्थाएं।

लखनऊः दिनांकः 11-09-2024

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 6036

विषयः वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु डाटा परिषद से अग्रसारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: आई–721524 / 2024 / 64–2010(099) / 1 / 2024, दिनांकः 02.09.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024–25 हेतु संस्थाओं को दिशा–निर्देश एवं समय–सारिणी जारी की जा चुकी है। परिषद द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति 2024–25 हेतु संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर लॉक किये गये ऑनलाइन आवेदनों को अग्रसारित किया जाना है।

परिषद से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी क्षेत्र एवं पीपीपी मोड की संस्थाओं के प्रधानाचार्य / निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वह समाज कल्याण द्वारा जारी समय–सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति 2024–25 की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत संपादित कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त राजकीय, अनुदानित एवं पी0पी0पी0 मोड संस्थाऐं ए0आई0सी0टी0ई0 से प्राप्त अनुमोदन / अनुमोदन विस्तार के अनुरूप और निजी क्षेत्र की संस्थाऐं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार के अनुरूप पोर्टल पर फीड किये गये विवरण यथा संस्था का नाम, स्वीकृत पाठ्यक्रमों का नाम, अनुमोदित सीटों की संख्या (EWS सहित) व उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शुल्क आदि विवरण को ही भरना सुनिश्चित करेंगे। **समस्त प्रधानाचार्य / निदेशक उपरोक्त विवरण की पुष्टि भी स्वयं के स्तर से करना सुनिश्चित करें।** त्रुटिपूर्ण मास्टर डाटा को परिषद से अग्रसारित नही किया जायेगा।

इस हेतु समस्त संस्थाओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यू–राईज पोर्टल पर एस0यू0 लॉगिन के माध्यम से त्रुटिरहित प्रविष्टि कर यू–राईज पोर्टल पर प्रदर्शित यथावश्यक अभिलेखों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाए। यदि कोई भी पात्र छात्र / छात्रा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति में वंचित रह जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य / निदेशक / प्रबंधन का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 6037-39 तद्दिनांकः 11-09-2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करे।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव